(402)

※ ※ ※

क्रमांक: प. 3(28) नविवि/3/96/पार्ट   जयपुर, दिनांक: 17 नवंबर, 2001

परिपत्र

विषय: विनियोजन के आधार पर कतिपय परियोजनाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आधारभूत परियोजनाएं जिनमें ऊर्जा संयंत्र, दूरसंचार, परिवहन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जलापूर्ति, तकनीकी शिक्षण संस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान, अपशिष्ठ निष्पादन परियोजनाएं, जनोपयोगी एवं पर्यटन इकाइयां शामिल हैं, को रियायती दर पर भूमि आवंटित की जावें। पर्यटन इकाइयों की परिभाषा राजस्थान विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण)नियम 1974 के नियम 2 (10-बी)में दर्शाई गई हैं तथा नियम 15 व 15 बी के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसी परियोजनाओ हेतु अलग से भूमि आवंटन /नियमन की दरें तय करने का अधिकार है। उक्त परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार अपनायी जायेगी :

1. उपरोक्त वर्णित आधारभूत तथा पर्यटन परियोजनाओं को राज्य में स्थापित करने के लिए विनियोजन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्न दरें तय की जाती है :

	विनियोजन की मात्रा	दर
अ	रु. 5.00 करोड़ तक	क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर का 200 प्रतिशत
ब	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं 25.00 करोड़ तक	क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर का 125 प्रतिशत
स	रु 25.00 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक	क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर का 75 प्रतिशत
द	रु 50.00 करोड़ से अधिक	क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर का 60 प्रतिशत

2. अपशिष्ट निष्पादन परियोजनाओं के लिये

मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 29.04.2001 में ऐसी परियोजनाओं हेतु विस्तृत नीति स्वीकृत की है, जो आदेश क्रमांक एफ 55(86)एस.ई./डीएलबी/2001/712 दिनांक 10.10.2001 द्वारा जारी की जाचुकी है। इसके अनुसार भूमि रुपया 1.00 (अक्षरे एक रुपये मात्र) प्रति वर्ग मीटर की दर से 30 वर्षों की लीज अवधि तक आवंटित की जा सकेगी। इस भूमि की लीज राशि रुपये 1.00 (अक्षरे एक रुपये मात्र) प्रति वर्गमीटर ही होगी।

3. **अविकसित भूमि :**

जहां अविकसित भूमि जिसके लिये कोई आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, का आवंटन किया जाना है, तो राज्य सरकार भूमि की स्थानीय बाजार दर एवं परियोजना के लिये देय सुविधाओं की लागत के आधार पर भूमि की दर तय कर सकती है।

4. **भूमि आवंटन की अन्य शर्तें:**

(i) भूमि के आवंटन के एक वर्ष की अवधि में परियोजना के मुख्य भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये। इसी तरह परियोजना पूर्ण होने की अवधि भी तय की जायेगी, जो परियोजना के आकार को देखते हुए तय की जा सकती है।

(ii) यदि परियोजना के मुख्य भवन का निर्माण उपरोक्त एक वर्ष की अवधि में प्रारंभ नहीं किया जाता है या परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा संबंधित स्थानीय निकाय बिना कोई मुआवजा दिये भूमि व उस पर बनी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर सकेगी। निवेशक द्वारा जो राशि जमा करवाई गई है उसका 25 प्रतिशत काट कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

(iii) यदि आवंटी निर्माण कार्य शुरु करने या इसे पूर्ण करने हेतु और समय चाहता है तथा इसके लिये आवंटन करने वाली संस्था/स्थानीय निकाय को उचित कारणों से अवगत करवाता है तथा संस्था/स्थानीय निकाय इन कारणों को पर्याप्त मानती है तो पूर्व में निर्धारित अवधि बढ़ाई जा सकेगी लेकिन आवंटी को प्रति वर्ष या उससे कम अवधि (जिसके लिये समय बढ़ाया गया हो) के लिये आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि देनी होगी।

5. यह निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण, समस्त, नगर विकास न्यासों एवं स्थनीय निकायों पर लागू होगा। संबंधित संस्था द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर भूमि आवंटित की जावेगी। राज्य सरकार को इस कार्य हेतु अलग से समिति गठित करने का भी अधिकार होगा जो प्रत्येक परियोजना के संबंध में गुणावगुण के आधार पर भूमि आवंटन संबंधी अपनी सिफारिश कर सकेगी।

6. यह परिपत्र मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 103/2001 दिनांक 7.11.2001 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन उप सचिव

(233)